अन्तिम डिक्री व मुकद्मे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

पीठासीन अधिकारी– अनिल कुमार, आर.ए.एस.

फूलचन्द आदि बनाम **तारचन्द आदि**

दावा बाबत बंटवारा, उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

दावा मुकदमा नं. 74/2014 **निर्णय दिनांक– 12.06.2018**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अनिल कुमार, आरएएस व हाजिरी .... रूबरू .... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जा है कि वादीगण का वाद तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के आधार पर आराजी खसरा सं. 233 रकबा 7.03 हैक्टेयर वाके ग्राम डूडवा, तहसील लक्ष्मणगढ जिला–सीकर में अंतिम डिक्री निम्न प्रकार से दी जाती है–

खातेदार का नाम	खसरा सं.	रकबा	किस्म	लगान
1. ताराचंद पुत्र गणेशाराम जाति जाट सा. देह	233/2	2.07 हैक्टेयर	बा.1	12.79
2. बोगीदेवी पत्नी बिरजूराम नाथूराम घासीराम पि. बिरजूराम जाति जाट सा. देह	233/5	1.36 हैक्टेयर	बा.1 1.14 बा.3 0.22	7.05 0.81 7.86
3. फूलचन्द जगदीश छोटूराम पि. तिलोकाराम जाति जाट सा. देह	233/1	2.07 हैक्टेयर	बा.2 0.34 बा.3 1.73	1.67 6.43 8.10
4. *(रूकमणी देवी पत्नी रतूराम)* झाबरमल गोटूराम विद्याधर पि. रतूराम जाति जाट सा. देह	233/4	1.37 हैक्टेयर	बा.2	6.77
5. ताराचंद पुत्र गणेशाराम बोगीदेवी पत्नी बिरजूराम नाथूराम घासीराम पि. बिरजूराम रूकमणी देवी पत्नी रतूराम झाबरमल गोटूराम विद्याधर पि. रतूराम फूलचन्द जगदीश छोटूराम पि. तिलोकाराम जाति जाट सा. देह ब.हि.ब.	233/3	0.16 हैक्टेयर	बा.3(रास्ता)	0.59

चूंकि प्रतिवादीया सं. 2 ***रूकमणी देवी पत्नी रतूराम*** फौत हो चुकी है। अतः तहसीलदार, लक्ष्मणगढ द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव में क्रम सं. 4 पर अंकित प्रतिवादीया सं. 2 ***रूकमणी देवी पत्नी रतूराम*** का हिस्सा दर्शित है उक्त ***रूकमणी देवी पत्नी रतूराम*** के फौत होने के कारण उक्त का नाम हजफ किये जाने के आदेश भी दिये जाते है। तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा में प्रदर्शित अलग–अलग खसरान को अलग–अलग हिस्से अनुसार बट्टा नम्बर कायम की कार्यवाही की जाकर उपरोक्तानुसार अलग–अलग लगान कायम कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही प्रतिवादीगण सं. 1 ता 8 को जरिये चिर स्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जाता है कि वोह वादीगण के हिस्से कब्जे, काश्त की भूमि में दखलअंदाजी पैदा न करें। रहन यथावत रहेगा। अतः उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात हेतु तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को तहरीर जारी हो।

बीज ....मुबलिग .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमें के मय शूद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख में वसूलयाबी तक ....को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12.06.2018 को केम्प डूडवा में जारी की गई।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 2. अर्जी के लिए स्टाम्प 3. प्लीडर की फीस 4. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 5. आदेशिका की तामिल 6. कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

12.06.18

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत– न्याय आपके द्वार– 2018 के तहत आयोजित कैम्प डूडवा में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया जिसमें तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से वांछित विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा पूर्व में पेश हो चुका है। कैम्प स्थल वादीगण सं. 2 व 3 स्वयं उपस्थित। प्रस्तुत वाद का भी अवलोकन किया जिसमें वादी ने बंटवारा चाहा है। जिसमें प्रतिवादी सं. 2 रूकमणी देवी का मुताबिक तामील कुनींदा रिपोर्ट के फौत होना अंकित है। इस बाबत कैम्प स्थल पर मज्मे–आम से भी पूछताछ की गई। उक्त विभाजन प्रस्ताव का भी अवलोकन किया। जिसके क्रम सं. 4 पर अंकित प्रतिवादीया सं. 2 रूकमणी देवी का हिस्सा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव में दर्शित है। प्रकरण में उपस्थित वादीगण पक्ष ने उपस्थित होकर प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादीगण का वाद डिक्री किये जाने पर सहमति प्रकट की। साथ ही पत्रावली पर प्रतिवादीगण सं. 6 ता 8 द्वारा दिनांक 29.01.2018 को आपत्ति बंटवारा प्रस्ताव पेश हो चुकी है उक्त का भी अवलोकन किया। जिसके प्रत्युत्तर में वादीगण पक्ष को मौखिक सुना गया। इस बाबत संबंधित पटवार हल्का व गिरदावर हल्का से वादग्रस्त आराजी का राजस्व रिकार्ड मय नक्शा आदि का भी अवलोकन किया गया। उपरोक्त अवलोकन के उपरांन्त जाहिर होता है कि प्रतिवादीगण सं. 6 ता 8 कि ओर से प्रस्तुत आपत्ति बंटवारा प्रस्ताव युक्तियुक्त व विधिसम्मत नहीं होने से खारित की जाती है। उपरोक्त अवलोकन के उपरान्त पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा व उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ के पत्रांक/रा.लो.अ./भू.अ./16/206 दिनांक 16.06.2016 के द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा मुताबिक वाद अनुरूप है, सही प्रतीत होता है। विभाजन प्रस्ताव न्यायालय के प्राथमिक डिक्री व रिकार्ड के अनुसार ही होना प्रकट होता है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के आधार पर वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है। अतः प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा सं. 233 रकबा 7.03 हैक्टेयर वाके ग्राम डूडवा, तहसील लक्ष्मणगढ जिला–सीकर में निम्नानुसार विभाजन किया जाकर पृथक–पृथक खातेदारी में दर्ज करने के आदेश दिये जाते है–

खातेदार का नाम	खसरा सं.	रकबा
1. ताराचंद पुत्र गणेशाराम जाति जाट सा. देह	233/2	2.07 हैक्टेयर
2. बोगीदेवी पत्नी बिरजूराम नाथूराम घासीराम पि. बिरजूराम जाति जाट सा. देह	233/5	1.36 हैक्टेयर
3. फूलचन्द जगदीश छोटूराम पि. तिलोकाराम जाति जाट सा. देह	233/1	2.07 हैक्टेयर
4. ***(रूकमणी देवी पत्नी रतूराम)*** झाबरमल गोटूराम विद्याधर पि. रतूराम जाति जाट सा. देह	233/4	1.37 हैक्टेयर
5. ताराचंद पुत्र गणेशाराम बोगीदेवी पत्नी बिरजूराम नाथूराम घासीराम पि. बिरजूराम रूकमणी देवी पत्नी रतूराम झाबरमल गोटूराम विद्याधर पि. रतूराम फूलचन्द जगदीश छोटूराम पि. तिलोकाराम जाति जाट सा. देह ब.हि.ब.	233/3	0.16 हैक्टेयर

चूंकि प्रतिवादीया सं. 2 ***रूकमणी देवी पत्नी रतूराम*** फौत हो चुकी है। अतः तहसीलदार, लक्ष्मणगढ द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव में क्रम सं. 4 पर अंकित प्रतिवादीया सं. 2 ***रूकमणी देवी पत्नी रतूराम*** का हिस्सा दर्शित है उक्त ***रूकमणी देवी पत्नी रतूराम*** के फौत होने के कारण उक्त का नाम हजफ किये जाने के आदेश भी दिये जाते है। तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा में प्रदर्शित अलग–अलग खसरान को अलग–अलग हिस्से अनुसार बट्टा नम्बर कायम की कार्यवाही की जाकर उपरोक्तानुसार अलग–अलग लगान कायम कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही प्रतिवादीगण सं. 1 ता 8 को जरिये चिर स्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जाता है कि वोह वादीगण के हिस्से कब्जे, काश्त की भूमि में दखलअंदाजी पैदा न करें। रहन यथावत रहेगा। अतः उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात हेतु तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हाकर बाद तरमीम तकमील दाखिल दफ्तर अभिलेखागार हो।

उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
कैम्प– डूडवा

Web Copy - Not Official